

## न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चौथ का बरवाड़ा

मु0नं0:-64 / 2021

तारीख रजू:-26.11.2021

जी0सी0एम0एस0 नंबर:-2021 / 92

पीठासीनअधिकारी :-जोगेन्द्र सिंह ( आर.ए.एस.)

1. बंदी पुत्र रामा मीना, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
2. हनुमान पुत्र रामा मीना, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

-वादीगण

बनाम

1. जयबाई पत्नि मदनलाल मीना निवासी खिदरपुर, (आटून कलां), तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
2. यशोदा पत्नि लखपत मीना निवासी पंचराणा मंदिर के पास, केशवनगर, मानटाउन, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
3. तहसीलदार/उपपंजीयक, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

-प्रतिवादीगण

उपस्थित:-

वकील वादी:- श्री हंसराज यादव, एडवोकेट

प्रतिवादी संख्या 1 व 2:- एकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 31.05.2024

प्रतिवादी संख्या 3:- पैरोकार सरकार

दावा बाबत तकासमा एवं स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 व 188 आर0टी0 एक्ट

निर्णय दिनांक:-08.12.2025

-:निर्णय:-

1. यह है कि पूर्व में उनवानी प्रकरण में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 02.05.2025 को प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के मध्य राजस्व रिकॉर्ड में हक व हिस्से अनुसार राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) नियम 1955 के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए एवं एवं माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के पत्रांक रा.म./स्था./प-51/2008/विविध/10546 दिनांक 05.10.2020 की पालना करते हुए तहसीलदार को बंटवारा प्रस्ताव इस न्यायालय में भिजवाने हेतु आदेशित किया गया था।
1. यह है कि उक्त प्राथमिक डिक्री के निर्णय की अनुपालना में तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा ने अपने पत्रांक भू0अ0/2025/2375 दिनांक 10.10.2025 से मूल रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस भिजवाया है, जो शामिल पत्रावली है।
2. यह है कि वादीगण के विद्वान अधिवक्ता ने अपने दावा अनुसार बहस की तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा की रिपोर्ट पर सहमति व्यक्त की एवं तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम के अनुसार तकासमा करवाया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करने हेतु निवेदन किया।
3. हमने वकील वादीगण की बहस पर मनन किया तथा तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा से प्राप्त तकासमा स्कीम का अवलोकन किया, साथ ही पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हम प्रार्थी का वादपत्र स्वीकार करते हुए तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किया जाना न्यायोचित समझते हैं।

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स० मा०)

-:आदेश:-



वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर वाद निम्नानुसार अंतिम डिक्री द्वारा ज्ञात है कि ग्राम जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर के आराजी खसरा नंबर 120 रकबा 2.06 एवं खसरा नंबर 750 रकबा 0.04 है कुल कित्ता 02 कुल रकबा 2.10 है 0 में से संलग्न नक्शे अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य निम्नानुसार तकासमा किया जाता है-

क्र. सं.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है० में)	किस्म	लगान
1.	यशोदा पत्नि लखपत मीना सा० देह हिस्सा 1/8	120/1	0.2575	बारानी-1	2.8325
2.	जयबाई पत्नि मदनलाल मीना निवासी खिदरपुर, (आटून कलां), तहसील व जिला सर्वाई माधोपुर। हिस्सा 3/8	120/2	0.7725	बारानी-1	8.4975
3.	1. बंद्री पुत्र रामा मीना, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर। 2. हनुमान पुत्र रामा मीना, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सर्वाई माधोपुर।	120/3	1.03	बारानी-1	11.33
4.	1. यशोदा पत्नि लखपत सा० देह हिस्सा 1/2 2. जयबाई पत्नि मदनलाल मीना हिस्सा 3/8 सा० खिदरपुर, सर्वाई माधोपुर 3. बंद्री पुत्र रामा मीना एवं हनुमान पुत्र रामा मीना हिस्सा 1/2 सा० देह (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा चौथ का बरवाड़ा	750	0.04	बारानी-1	0.44

तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि उभयपक्षकारान के हिस्से में उक्त तकासमा अनुसार तरमीम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय आज दिनांक 08.12.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।

10/11/20  
(जोगेन्द्र सिंह)  
उपखंड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सर्वाई मा०)

मूल वाद में डिक्री  
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

नाम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी स्थान

चौथ का बरवाड़ा

- बद्री पुत्र रामा मीना, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।
- हनुमान पुत्र रामा मीना, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।



बनाम

- जयबाई पत्नि मदनलाल मीना निवासी खिदरपुर, (आटून कला), तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
- यशोदा पत्नि लखपत मीना निवासी पंचराणा मंदिर के पास, केशवनगर, मानटाउन, तहसील व जिला सवाई माधोपुर।
- तहसीलदार/उपपंजीयक, चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।

नम्बर मुकदमा 64 सन् 2021

दावा बाबत इस्तकरारहक, स्थाई निषेधाज्ञा एवं इन्द्राज दुरुस्ती, अन्तर्गत धारा 88, 188 आर0टी0 एक्ट

वादीगण की ओर से श्री हंसराज यादव, एडवोकेट एवं प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से एकपक्षीय कार्यवाही की उपस्थिति में इस वाद के आज ता 08.12.2025 को श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस) के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर आदेश किया जाता है और डिक्री जारी की जाती है कि ग्राम जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर के आराजी खसरा नंबर 120 रकबा 2.06 एवं खसरा नंबर 750 रकबा 0.04 है 0 कुल किता 02 कुल रकबा 2.10 है 0 में से संलग्न नक्शे अनुसार उभयपक्षकारान के मध्य निम्नानुसार तकासमा किया जाता है—

क्र. सं.	खातेदार का नाम	प्रस्तावित खसरा नंबर	रकबा (है 0 में)	किस्म	लगान
1.	यशोदा पत्नि लखपत मीना सा 0 देह हिस्सा 1/8	120/1	0.2575	बारानी-1	2.8325
2.	जयबाई पत्नि मदनलाल मीना निवासी खिदरपुर, (आटून कला), तहसील व जिला सवाई माधोपुर। हिस्सा 3/8	120/2	0.7725	बारानी-1	8.4975
3.	1. बद्री पुत्र रामा मीना, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर। 2. हनुमान पुत्र रामा मीना, निवासी जगमोदा, तहसील चौथ का बरवाड़ा, जिला सवाई माधोपुर।	120/3	1.03	बारानी-1	11.33
4.	1. यशोदा पत्नि लखपत सा 0 देह हिस्सा 1/2 2. जयबाई पत्नि मदनलाल मीना हिस्सा 3/8 सा 0 खिदरपुर, सवाई माधोपुर 3. बद्री पुत्र रामा मीना एवं हनुमान पुत्र रामा मीना हिस्सा 1/2 सा 0 देह (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, शाखा चौथ का बरवाड़ा	750	0.04	बारानी-1	0.44

उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (स 0 मा 0)

तहसीलदार, चौथ का बरवाड़ा को आदेश दिये जाते हैं कि उभयपक्षकारान के हिस्से में उक्त तकासमा अनुसार तरमौम कर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा स्वयं वहन करें।

इस वाद के खर्चे लेखें X रूपया की राशि आज की तारीख से वसूली की तारीख तक उस पर X प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित X द्वारा X को दी जाए। यह आज तारीख 08.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

वाद के खर्च

वादी	रूपया	पैसे	प्रतिवादी	रूपया	पैसे
1 वाद पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	
2 शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	00	00	अर्जी के लिए स्टाम्प	00	
3 प्रदेशा के लिए स्टाम्प रू0 पर	00	00	प्लीडर की फीस	00	
4 प्लीडर की फीस	00	00	साक्षियों के निर्वाह व्यय	00	
5 साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	00	00	आदेशिका की तामील	00	
6 कमिश्नर की फीस	00	00	कमिश्नर की फीस	00	
7 आदेशिका की तामील	00	00			
जोड	00	00	जोड	00	00



(जोगेंद्र सिंह)  
उपखण्ड अधिकारी  
चौथ का बरवाड़ा (सो मा०)